त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन – 2021 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत् है।

मतगणना अधिकारियों हेतु

आनन्द कुमार शुक्ला

मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, कार्मिक/प्रशिक्षण, आजमगढ़।

राजेश कुमार

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन – 2021 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत् है।

कुलभूशण सिंह सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण	**साहित्य निकश सिंह** जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण	**विनोद कुमार शर्मा** जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण	**अम्बरीश कुमार** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण	**अमर नाथ राय** प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण	**अभिमन्यु सिंह** परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण

राकेश सिंह
सहायक निर्वाचन अधिकारी
आजमगढ़।

मतगणना प्रबन्ध

1. मतगणना और परिणाम की घोशणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम स्तर होता है, परन्तु यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है।
2. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी, मतों की गणना के लिये तिथि, स्थान व समय अंकित करते हुए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा सूचना दी जाती है।
3. सामान्यतः मतगणना का कार्य विकास खण्ड मुख्यालय परिसर में सम्पादित होता है। विशेश परिस्थितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय के अन्य स्थान पर भी गणना का कार्य कराया जा सकता है जिसके परिवर्तन की पूर्व अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 से अवश्य प्राप्त करनी होती है।

मतगणना प्रबन्ध

4. मतगणना विकास खण्ड मुख्यालय पर पक्के भवन जैसे हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज/जूनियर हाई स्कूल, मण्डी परिषद के शेड एवं अन्य सार्वजनिक पक्के भवनों आदि में करायी जाती है।

5. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर निर्वाचन अधिकारी हेतु एक कमरा निर्धारित किया जाएगा जो सभी न्याय पंचायतों हेतु निर्धारित मतगणना कक्षों के आस–पास हो, जिससे निर्वाचन अधिकारी सतत् मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कर सकें।

6. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर प्रेक्षक कक्ष, मीडिया कक्ष, सुरक्षा कार्मिक कक्ष, लेखन सामग्री/कम्प्यूटर कक्ष, मतगणना कक्ष, वाहन पार्किंग व्यवस्था, कार्मिक उपस्थिति/मेज आवंटन व्यवस्था, रिजर्व कार्मिक/सुरक्षा कक्ष, कार्मिक खानपान व्यवस्था, निर्वाचन परिणाम उद्घोशणा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को निर्धारित किया जाएगा।

मतगणना प्रबन्ध

7. मीडिया कक्ष में जनसामान्य /मीडिया को जानकारी प्रदान करने हेतु किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

8. मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों को पास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9. निवार्चन परिणाम के ऑनलाइन मोड में प्रेशण हेतु प्रर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर संयंत्र, प्रिन्टर्स, स्केनर्स, नेट कनैक्टविटी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

10. प्रत्येक मतगणना स्थल पर दो जनरेटर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें एक जनरेटर मतगणना आरम्भ होने से समाप्त होने तक अनवरत चलता रहेगा।

11. निवार्चन अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट लगा होगा, जिससे मतगणना स्थल के बाहर समय–समय पर परिणाम की जानकारी दी जायेगी।

मतगणना सामग्री

मेज पर मतगणना की व्यवस्था हेतु (एक मेज की दशा में प्रति न्याय पंचायतवार सामग्री)

• डाट पेन	04 अदद
• सादा कागज	05 अदद
• गीला स्पंज अथवा छोटे प्याले में पानी	04 अदद
• धागा	02 गोला
• रबड़ बैंड	50 ग्राम
• पेपर वेट अथवा पत्थर के टुकड़े	08 अदद
मतगणना प्रपत्र	आवश्यकतानुसार
• गणना पर्ची	40 अदद
• ब्लेड	01 अदद
• ऑलपिन का पत्ता	04 अदद
• बासी कागज	75 सीट
• सुतली	100 ग्राम

मतगणना सामग्री

- बडा स्टाम्प पैड 01 अदद
- आयोग द्वारा उपलब्ध धातु की मोहर 01 अदद
- सूजा 01 अदद
- मोमबत्ती 05 अदद
- सीलिग वैक्स 100 ग्राम
- केलकुलेटर 01 अदद

मतगणना दल का गठन एवं कार्य

1. गणना पर्यवेक्षक (01) – गणना सीट बनाना
2. गणना कार्मिक (04) – मतपत्रों को रंगों के अनुसार व पदों के अनुसार अलग–अलग करना

मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था

1. निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि मतगणना को शान्तिपूर्ण और सूचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।
2. सुरक्षा बल गणना हाल/पण्डाल के बाहर ही तैनात होगा। उसे निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रति दो मतगणना केन्द्र पर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी की डयूटी अवश्य लगाई जाए। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर थानाध्यक्ष स्तर के पुलिस निरीक्षक को भी तैनात किया जाएगा।
4. मतगणना केन्द्र की 200 मीटर परिधि में केवल डयूटी पर तैनात अधिकारियों या कर्मचारियों के वाहन को ही प्रवेश दिया जाए, अन्य कोई वाहन 200 मीटर की परिधि के अन्दर न आने पाये।

मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था

5. मतगणना केन्द्र के अन्दर उम्मीदवार अथवा मतगणना अभिकर्ता जिनको फोटोयुक्त पास जारी किए गए हों, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाए, अन्य बाहरी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
6. मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आवागमन गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी।
7. आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
8. किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेण्ट नहीं बनाया जाएगा एवं मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति

1. मतगणना स्थल पर वही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे जो मतगणना कार्य से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सम्बद्ध हों। उदाहरणार्थ मतगणना कार्य में लगे गणना कर्मी, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त स्टाफ, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता।
2. मतगणना कार्य में पण्डाल, प्रकाश, लंच व चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था के लिए नियोजित व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में प्रवेश पत्र जारी किया गया हो।
3. मतगणना टेबल पर एक समय में उम्मीदवार, उसका मतगणना अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा।

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति

4. मतगणना कक्ष/हाल में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार–बार अन्दर बाहर आना नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यदि निवार्चन लड़ने वाला उम्मीदवार स्वयं मतगणना के समय उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करके गणना की तिथि से एक दिन पहले तक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति पत्र की एक प्रति सौंप दें, जिससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए।

6. निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने से पूर्व की जाएगी।

मतगणना अभिकर्ता

1. किसी गणन अभिकर्ता को गणना के लिए निश्चित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक वह अपनी नियुक्ति का प्रपत्र ————निर्वाचन अधिकारी को न दे।

2. मतगणना अभिकर्ता निम्न नहीं बनाए जाएंगे।

- केन्द्र व राज्य सरकार के मा0 मंत्रीगण, मा0 संसद सदस्य, मा0 विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत।
- आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति।
- शासकीय सेवक।

3. किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेण्ट नहीं बनाया जायगा एवं मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

मतगणना अभिकर्ता

5. मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता व अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं है अर्थात एक बार मतगणना अभिकर्ता व अन्य, मतगणना कक्ष में प्रवेश कर गये तो वह मतगणना परिणाम घोशित होने के बाद ही मतगणना कक्ष से बाहर जायेंगे।
6. जिला पंचायत सदस्य की मतगणना एक से अधिक मेजों पर होने के कारण उतने ही गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं जितनी मेजों पर जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना हो रही है।
7. मतगणना कक्ष के भीतर अनुशासन एवं निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे। अवज्ञा से उन्हें मतगणना कक्ष से बाहर निकाला जा सकता है।

मतगणना व्यवस्था संबंधी सामान्य निर्देश

1. मतगणना विकासखण्ड के लिए निर्धारित मतगणना स्थल पर करायी जाएगी। चारों पदों की मतगणना एक साथ करायी जाएगी।
2. प्रत्येक विकास खण्ड के मतगणना स्थल पर एक वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा जो प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा।
3. प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियाग्राफी करायी जाएगी।
4. मतगणना कर्मियेां की शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट 12–12 घण्टे की होगी।

मतगणना व्यवस्था संबंधी सामान्य निर्देश

5. पहली शिफ्‍ट में नियुक्त कर्मी प्रातः 8:00 बजे से सांयकाल 8:00 बजे तक मतगणना कार्य करेंगे। उसके बाद दूसरी पाली के कार्मिक सांयकाल 8:00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना कार्य करेंगे।

6. एक शिफ्ट के मतगणना कार्मिक तभी अपनी ड्‍यूटी से हटेंगे। जब अगली शिफ्ट के उनके प्रतिस्थानी ड्‍यूटी पर आ जायें।

7. मतगणना कार्मिकों को भोजन व जलपान मतगणना हॉल में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मतगणना कक्ष/हाल के बाहर नहीं जाएंगे।

8. मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी संबंधित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध करायी जाएगी।

मतगणना व्यवस्था संबंधी सामान्य निर्देश

9. प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु निर्धारित मतगणना कक्ष कमांकित करते हुए गणना की जाएगी।
10. मतगणना केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित है। केवल प्रेक्षक, निर्वाचन अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी को मतगणना केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है।
11. मतगणना केन्द्र पर धूम्रपान पूर्णतयाः निशेध है।
12. जिन मतदान स्थलों पर जिस पद/स्थान की मतदान प्रकिया दूशित हो गई है, उन पदों/स्थानों के मतों की गिनती नहीं की जाएगी। ऐसे पदों/स्थानों हेतु पुनर्मतदान में पड़े मतों की गणना की जाएगी।
13. कानून एवं शांन्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के बाद विजय जुलूस निकालना पूर्णतयाः प्रतिबंध है।

परिशिष्ट—1क

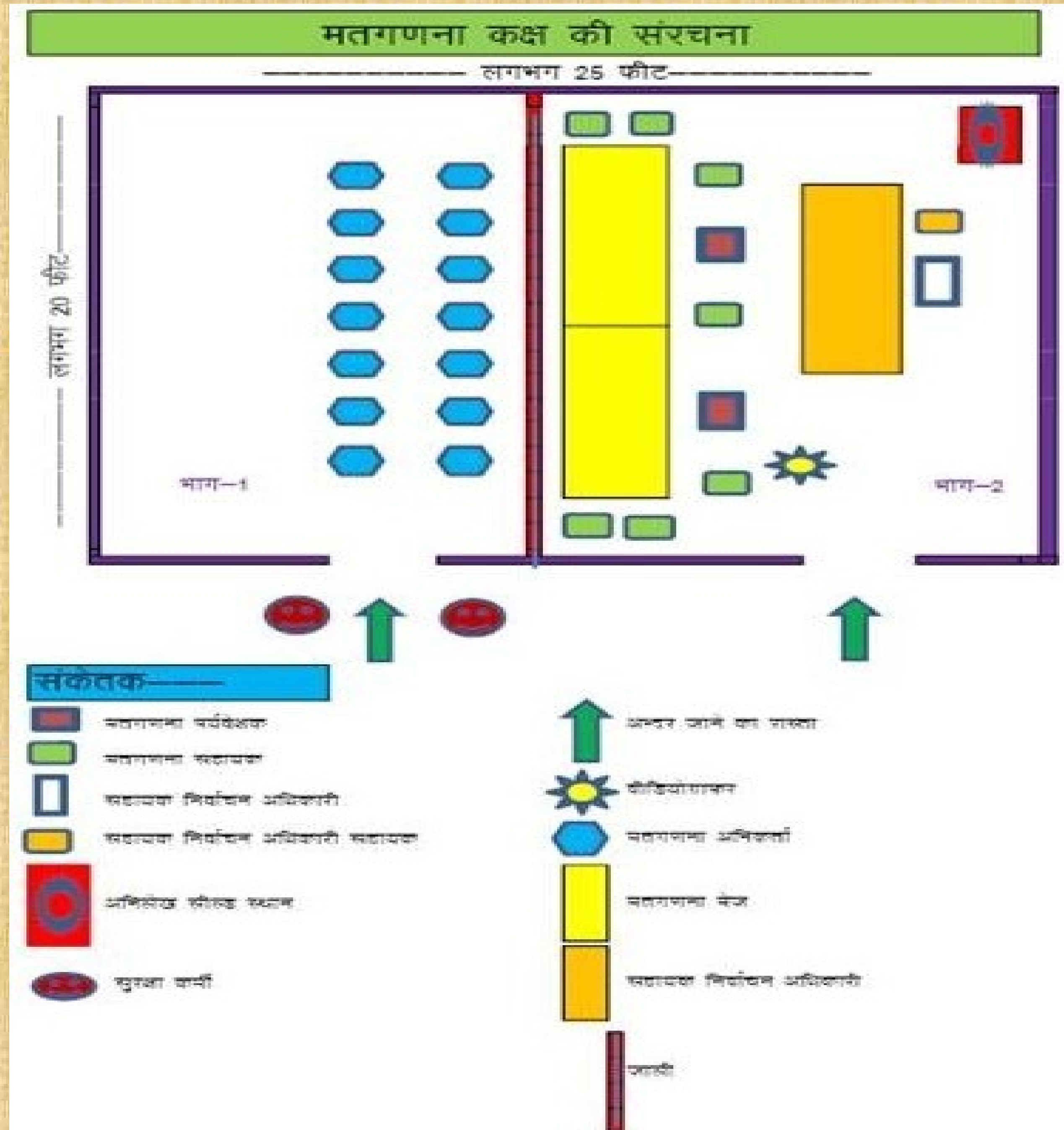
मतगणना कक्ष की संरचना
लगभग 25 फीट
लगभग 20 फीट
भाग—1
भाग—2
संकेतक——
मतगणना पर्यवेक्षक
मतगणना सहायक
सहायक निर्वाचन अधिकारी
सहायक निर्वाचन अधिकारी सहायक
सुरक्षा कर्मी
अन्दर जाने का रास्ता
वीडियोग्राफर
मतगणना अभिकर्ता
मतगणना मेज
सहायक निर्वाचन अधिकारी
जाली

मतगणना प्रकिया

1.मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं की सील आदि की जांच कर लेनी चाहिए।

2.उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वे मतपेटिकाओं और उनकी मुहरों के ठीक होने की संतुश्टि के लिए निरीक्षण कर लें।

3. निर्वाचत अधिकारी को स्वयं इस बात से भी संतुश्ट होना चाहिए कि मतपेटिकाओं में गड़बडी नहीं की गई है। ऐसी दशा में जब मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गई हो निर्वाचन अधिकारी नियामावली 1994 के नियम–104(ग) के साथ पठित नियम–100 में निर्धारित रीति का अनुसारण करेंगे। ऐसे मामलों में गणना नहीं की जाएगी बल्कि मतगणना स्थगित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी उस समय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त तत्संबंधी सूचना भेज देंगे।

मतगणना प्रक्रिया

4. यदि कोई उम्मीदवार , निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता किसी मतपेटिका में गड़बड़ी किये जाने के संबंध में आरोप लगाता है और निर्वाचन अधिकारी संतुश्ट नहीं होता है कि मतपेटिका में गड़बड़ी की गई है तो उसे इस संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी परिशिश्ट–4 के अनुसार अभिलिखित करनी होगी।

5. मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन समस्त उपस्थित व्यक्तिओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों को पढ़कर सुना देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 03 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

मतगणना प्रक्रिया

6. जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाये गये चिन्हों की जांच करेगा।
7. उपर्युक्त रीति से मुहरों आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लिये जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोल कर उसमें सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जायेंगे।
8. मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेना का अवसर दिया जायेगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल लिये गये हैं। और मतपेटिका पूर्णतयः खाली हो गई है।
9. इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटिका से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर–उधर न हो जाए।

मतगणना प्रक्रिया

10. गणना मेज पर ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों की मतपेटिकाएं रखी जाएंगी यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों, तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जाएगा।

11. गणना की मेज पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा, जो मतदान स्थल से प्राप्त हुए हों। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग–1 के अनुसार मतपत्रों का मिलान करके उसे मतपत्र लेखा भाग–2 परिशिश्ट–3 में भरा जाएगा।

12. मतगणना कक्ष/हाल में किसी मतदेय स्थल पर चारों पदो ंके लिए मतगणना मेज पर मतपेटी खोली जायेंगी। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मटपेटी में भिन्न प्रकार का मतपत्र मिलता है तो उसे अलग रख लेंगे।

मतगणना प्रकिया

13. चारों पदों के मतपत्रों को अलग–अलग छांटकर उनकी पदवार 50–50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किये हुए रखा जाएगा। अन्तिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती हैं उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी।

14. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों को अलग–अलग बंडल में रखा जाएगा।

15. यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डो के कमांक देखकर छंटनी कर ली जाए।

16. उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य तदोपरान्त ग्राम प्रधान, क्षेत्रपंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की गणना की जायेगी।

मतगणना प्रकिया

17. वैध मतों की 50—50 की गड्डियॉं प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार अलग—अलग बनायी जायेगी।

18. प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची प्रपत्र—43 लगा दी जाएगी। जिसमें बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा।

19. संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा। उस पर पर्ची लगाई जाएगीं जिस पर संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी होगी। इन मतपत्रों पर निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम रूप से मान्य होगा।

20. निविदत्त मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न खोले जायेगें और न उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जायेगी।

मतगणना प्रक्रिया

20. मतपत्रों की गणना के बाद उनका विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर अंकित किया जायेगा।

1. ग्रामपंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र –44
2. ग्राम प्रधान के लिए प्रपत्र– 45 एवं 46
3. क्षेत्र पंचातय सदस्य के लिए प्रपत्र– 47 एंव 48
4. जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र–49 , 50 एवं 51

21. वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकता अनुसार प्रविशि्टयों की शुद्ध किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा।

मतपत्र रद्द होने के कारण

1. जब सामने की ओर कोई भी चिन्ह न लगा हो, या निशान प्रयोजनार्थ दिये गये उपकरण से भिन्न तरीके से लगाया गया हो।
2. जब निशान खाली स्थान पर अर्थात् पृश्ठ भाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो।
3. जब दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों।
4. जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है।
5. जब मतपत्र इतना कटा–फटा हो की पहचान न की जा सकती हो।
6. जब मतपत्र प्रमाणित न हो या नकली हो तथा मतपत्र के पृश्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो चाहे सुभेदक मुहर लगी हो।
7. निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो।

मतपत्र रद्द होने के कारण

परिशिष्ट–2

1– निशान चुनाव चिह्न विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित

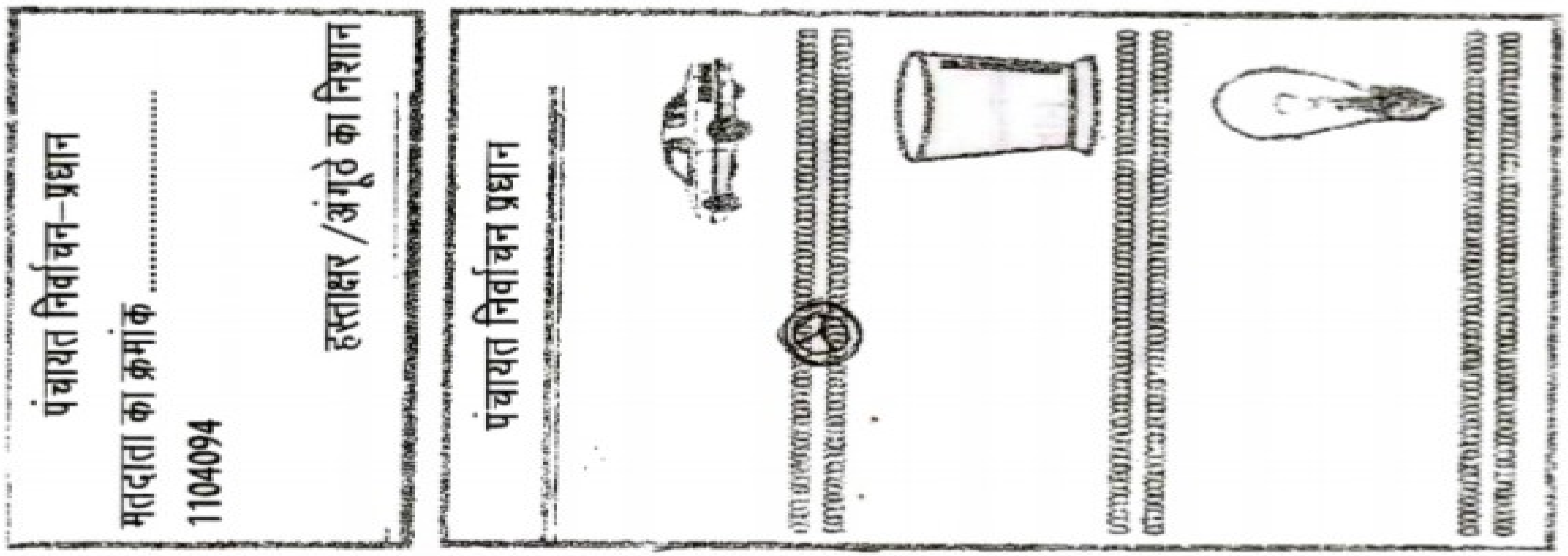

मतपत्र रद्द होने के कारण

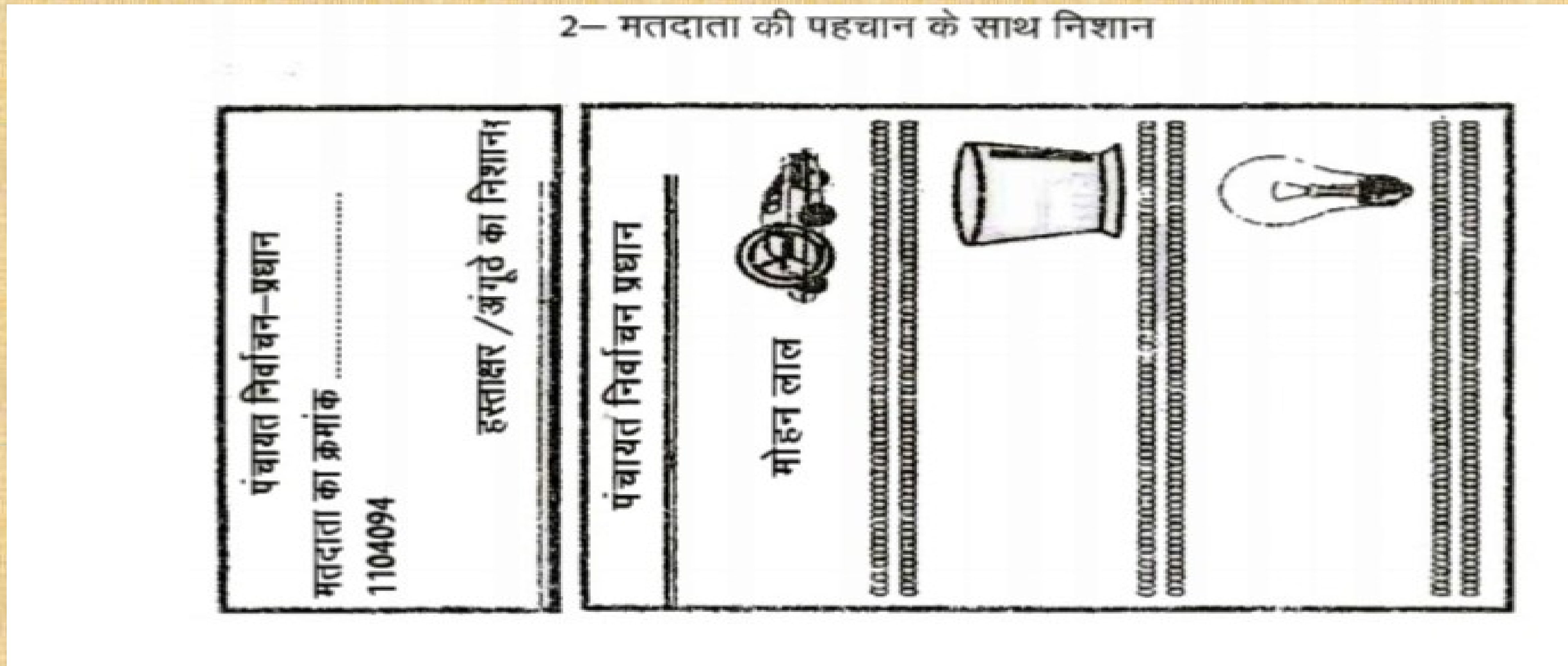

मतपत्र रद्द होने के कारण

परिशिष्ट–2

3–दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान

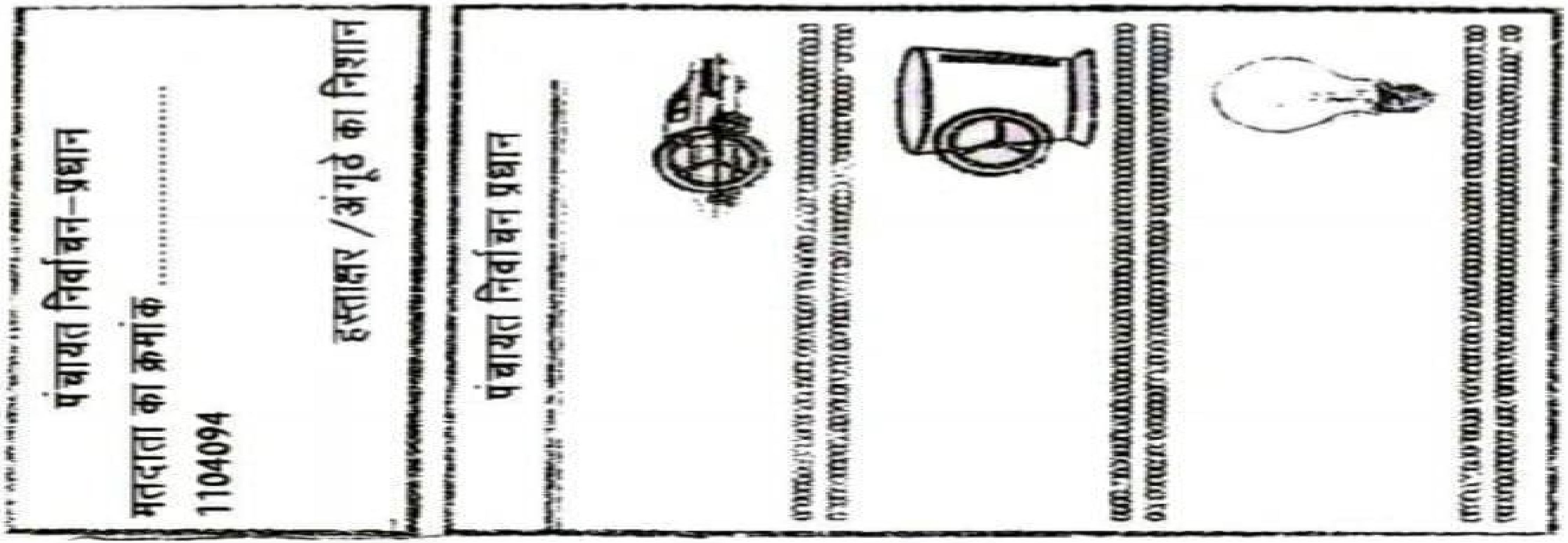

मतपत्र रद्द होने के कारण

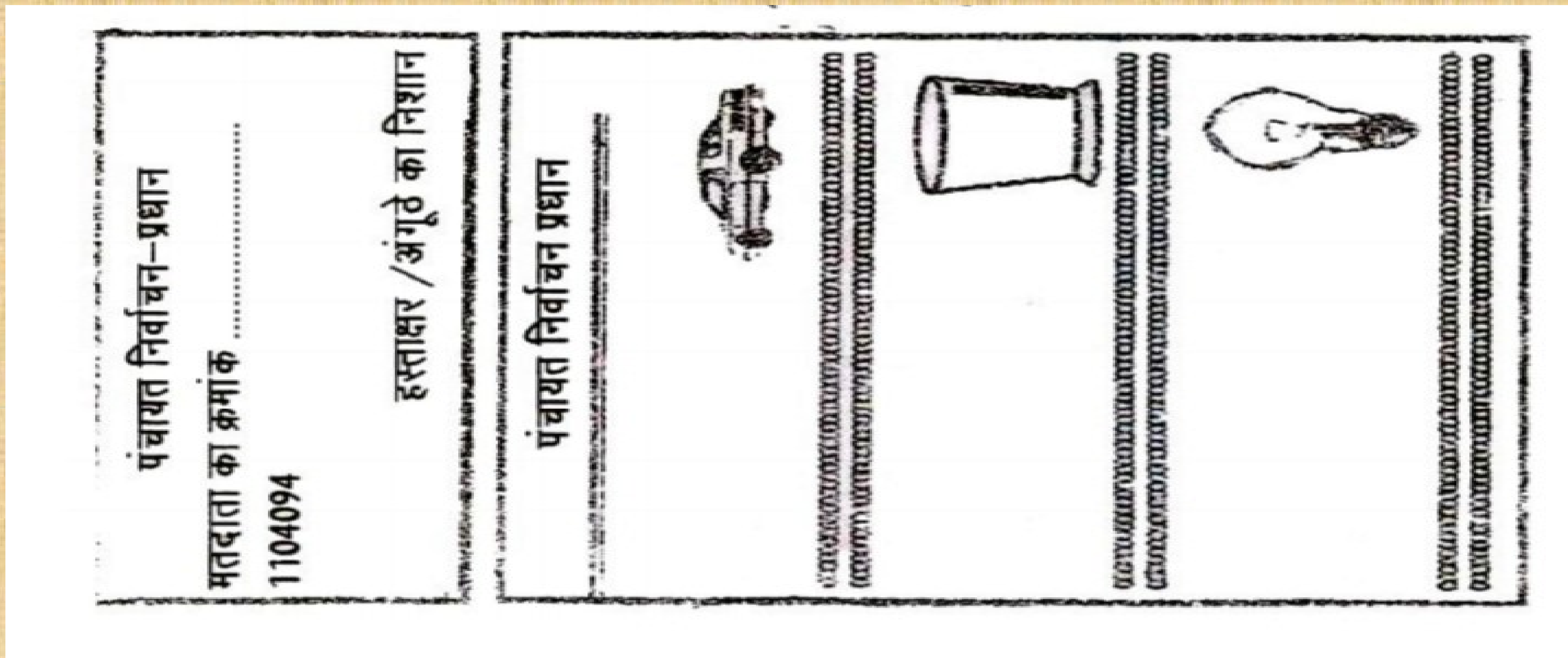

मतपत्र वैध होने के महत्वपूर्ण बिन्दु

1. यहां यह महत्वपूर्ण है कि मतपत्र में उम्मीदवार के कॉलम में ऐरोक्रास रबरसील से कहीं भी चिन्ह लगा हो उस मत की गणना की जायेगी।
2. यह भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार के कॉलम में एक से अधिक ऐरोक्रास रबरसील से चिन्ह लगे हों तो मतपत्र की गणना की जायेगी। मतपत्र अमान्य नहीं होगा।
3. यदि मूल निशान एक उम्मीदवार के पक्ष में है और मतपत्र को मोड़ते समय किसी अन्य उम्मीदवार के स्तम्भ में छाया आ जाती है तो मतपत्र अमान्य नहीं होगा । वह मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में माना जायेगा/गणना होगी।
4. यदि मतपत्र के पृश्ठ भाग पर सुभेदक मुहर नहीं लगी है परन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तो मतपत्र की गणना की जायेगी।

नोट–: यदि मतपत्र में अँगूठे का निशान लगा है तो मतपत्र अवैध माना जायेगा, परन्तु यदि अँगूठे का निशान असावधानीपूर्वक पकड़ने से लगा है तो मतपत्र अवैध नहीं माना जायेगा।

मतगणना उपरान्त की प्रकिया

1. पुनर्गणना के लिए किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन परिणाम घोशित करने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी किन्तु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को, जो उसे व्यर्थ या अनुचित जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण उसी समय अभिलिखित (परिशिश्ट–4) करके अस्वीकृत कर देगा।
2. मतों की गणना किए जाने के उपरान्त यदि किन्हीं दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा बाराबर मत प्राप्त किए जाते हैं तो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली, 1994 के नियम 54, एवं नियम 55 के तहत निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा कि जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो, की विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा।

मतगणना उपरान्त की प्रक्रिया

3. निर्वाचन अधिकारी निर्धारित निर्वाचन परिणाम पंजिका प्रपत्र–56 पर विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेगा और स्वयं या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

4. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी (सदस्य जिला पंचायत) द्वारा सम्बन्धित जिला पंचायत वार्ड के मतों के परिणाम तैयार करके जिला मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के परिणाम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतपत्रों की गणना के आधार पर तैयार किया जाएगा ।

5. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरान्त निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा से पूर्व निर्वाचन परिणाम पंजिका में निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता एवं जोनल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर किये जायेगें।

मतगणना उपरान्त की प्रक्रिया

6. निर्वाचित उम्मीदवारों को निम्न प्रारूप पर निर्वाचन प्रमाण पत्र दिये जायेगे।

- ग्राम पंचायत के लिए प्रपत्र –52
- ग्राम प्रधान के लिए प्रपत्र– 53
- क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र– 54
- जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र – 55

7. मतगणना प्रपत्र –44 से 56 तक मतगणना के पश्चात् सीलबन्द नहीं किए जाएंगे। जिसे पृथक् से जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा।

8. निर्वाचन अधिकारी मतगणना के बाद मतपत्रों सहित मतगणना के महत्वपूर्ण अभिलेख (मतगणना विवरणी/निर्वाचन परिणाम पंजिका को छोड़कर) सील बन्द बक्सों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्य के लिए घोशित दृढ़ कक्ष में रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

• धन्यवाद

Prepared by :-Er.KULBHUSHAN SINGH
सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण
Mob. No. 9415276806